

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:-प.1(3)न्याय/2010

दिनांक

- 5 JUN 2020

अधिसूचना

इस विभाग द्वारा जारी पूर्व अधिसूचना क्रमांक प.2(1)न्याय/2017 दिनांक 30.08.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए, द राइट्स ऑफ परसन्स विद डिसएबीलिटी एक्ट, 2016 की धारा 84 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति से, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के त्वरित विचारण हेतु जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय के न्यायालयों को अपनी-अपनी क्षेत्रीय सीमाओं में अधिकारिता वाला विशिष्ट न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है।


राज्यपाल के आदेश से,


(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर/ पुलिस आयुक्त, जयपुर।
9. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम एवं जयपुर महानगर द्वितीय।
10. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट एवं ई-गजट में ऑनलाईन प्रकाशन करवाने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।


5-6-2020

(मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव